



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 22 जून, 2018
आषाढ़ 1, 1940 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
लोक सेवा प्रबन्धन अनुभाग

संख्या 211/91-2018
लखनऊ, 22 जून, 2018

अधिसूचना

प०आ०-396

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश जनहित गारन्टी अधिनियम, 2011 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2011) की धारा 3 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल द्वारा अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से, समय-समय पर यथासंशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या 2198/एक-14-2010-33(100)-2010 टी०सी०-III, दिनांक 15 जनवरी, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, क्रम संख्या-51 की प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से स्तम्भवार बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

अनुसूची

क्र०सं०	विभाग का नाम	सेवार्य	पदाभिहित अधिकारी	सेवाओं के लिये नियत समय-सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी के निरस्तारण हेतु नियत समय-सीमा	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी के निरस्तारण हेतु निम्नतम समय-सीमा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश	1-पूर्वदशम/दशमोत्तर योजना की शिकायत पर विनिश्चय, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति योजनाएं	1-मुख्यालय, स्तर-उपनिदेशक। 2-जिला स्तर-पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी।	30 दिन	1-मुख्यालय स्तर-वित्त नियंत्रक। 2-जिला स्तर-सम्बन्धित गण्डल का उपनिदेशक।	30 दिन	संयुक्त निदेशक, मुख्यालय, लखनऊ।	30 दिन

2	3	4	5	6	7	8	9
	2-अन्य पिछड़े वर्गों के लिये शादी अनुदान योजना के सापेक्ष शिकायतों पर विनिश्चय	1-मुख्यालय, स्तर-उपनिदेशक। 2-जिला स्तर-पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी।	30 दिन	1-मुख्यालय स्तर-वित्त नियंत्रक। 2-जिला स्तर-सम्बन्धित मण्डल का उपनिदेशक।	30 दिन	संयुक्त निदेशक, मुख्यालय, लखनऊ।	30 दिन
उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि०	3-अन्य पिछड़े वर्गों के लिए टर्मलोन, शिक्षा ऋण, न्यु स्वर्णिमा और गाइनेस योजनाओं की शिकायतों पर विनिश्चय	(1) मुख्यालय स्तर-वित्त नियंत्रक। 2-जिला स्तर-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/जिला प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि०।	30 दिन	(1) मुख्यालय, स्तर-वित्त नियंत्रक। 2-जिला स्तर-उप निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण/संबन्धित मण्डल के मण्डलीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि०।	30 दिन	प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि०।	30 दिन
	4-वसूली/ शिकायतें	(1) मुख्यालय, स्तर-वित्त नियंत्रक। 2-जिला स्तर-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/जिला प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि०।	30 दिन	(1) मुख्यालय, स्तर-वित्त नियंत्रक। 2-जिला स्तर-उप निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण/संबन्धित मण्डल का प्रभागीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि०।	30 दिन	प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि०।	30 दिन

आज्ञा से,
एस० एन० शुक्ल,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 211/XCI-2018, dated June 22, 2018 :

No. 211/XCI-2018

Dated Lucknow, June 22, 2018

IN exercise of the powers under section-3 of the Uttar Pradesh Janhit Guarantee Adhiniyam, 2011 (U.P. Act no. 3 of 2011) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, the following amendment in Government Notification no. 2198/1-14-2010-33(100)-2010 T.C.-III, dated January 15, 2011 as amended from time to time.

AMENDMENT

IN the aforesaid notification in the Schedule after entries at serial number 51, the following entries shall, with effect from the date of publication of this notification in the Gazette column wise be inserted, namely :-

SCHEDULE

Sl. no.	Name of the Departments	Services	Designated officer	Stipulated time limits for Services	First Appeal Officer	Stipulated time limits for disposal of first Appeal officer	Second appellate authority	Stipulated time limits for disposal of Second Appeal officer
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	Backward Class Welfare Department, Uttar Pradesh	1-Decision on complaint of Prematric/ Postmatric Scheme, Fee Reimbursement Schemes for OBC's	1-Head Quarter Level-Deputy Director, 2-District Level-Backward Class Welfare Officer.	30 Days	1-Head Quarter Level-Finance Controller. 2-District Level-Deputy Director of related mandal.	30 Days	Joint Director, Head Quarter, Lucknow	30 Days
		2-Decision on complaints against Sadi Anudan Scheme, for OBC's	1-Head Quarter Level-Deputy Director, 2-District Level-Backward Class Welfare Officer.	30 Days	1-Head Quarter Level-Finance Controller. 2-District Level-Deputy Director of related mandal.	30 Days	Joint Director, Head Quarter, Lucknow	30 Days
	U.P. Backward Classes Finance and Development Corporation Ltd.	3-Decision on complaint Term Loan, Education Loan, New Swarnima and Micro Finance Schemes for OBC's	1-Head Quarter Level-Finance Controller 2-District Level-District Backward Class Welfare Officer/District Manager, U.P. Backward Classes Finance and Development Corporation Ltd.	30 Days	1-Head Quarter Level-Finance Controller. 2-District Level-Deputy Director, Class Welfare/ Divisional Manager, U.P. Backward Classes Finance and Development Corporation Ltd. of related division	30 Days	Managing Director, U.P. Backward Classes Finance and Development Corporation Ltd.	30 Days

उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 22 जून, 2018

4	3	4	5	6	7	8	9
	4-Recovery/ Complaint's	1-Head Quarter Level-Finance Controller 2-District Level- District Backward Class Welfare Officer/District Manager, U.P. Backward Corporation Ltd.	30 Days	1-Head Quarter Level- Finance Controller. 2-District Level- Deputy Director, Backward Class Welfare Officer/ Divisional Manager, U.P. Backward Classes Finance and Develop- ment Corpo- ration Ltd. of related division	30 Days	Managing Director, U.P. Backward Classes Finance and Develop- ment Corpo- ration Ltd.	30 Days

By order,
S. N. SHUKLA,
Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 20 राजपत्र-2019-(67)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 1 सा० लोक सेवा प्रबन्धन-2019-(68)-500 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।